बिहार विधान परिषद्

208वां शीतकालीन सत्र

तारांकित प्रश्न

27 नवम्बर, 2024

[राजस्व एवं भूमि सुधार - सहकारिता - पर्यटन - सूचना एवं जनसम्पर्क - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - नगर विकास एवं आवास - सामान्य प्रशासन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - सूचना प्रावैधिकी - निर्वाचन आपदा प्रबंधन].

कुल प्रश्न 40

कार्यपालक सहायकों को ग्रेड पे

***49 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **सामान्य प्रशासन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा जिलाधिकारियों के माध्यम से संविदा के आधार पर कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति लगभग सभी विभागों में की गई है, जिनका नियोजन योजना अवधि के आधार पर किया गया है, जबकि मूल कार्य स्थाई प्रकृति का है, यथा समाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म मृत्यु, राशन कार्ड और विभिन्न विभागों द्वारा आवंटित कार्य ससमय पूरा करना है;

(ख) क्या यह सही है कि श्री अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित सिमिति द्वारा निर्गत पत्रांक 12534 दिनांक 17.09.2018 के आलोक में विकास मित्र, टोला सेवक एवं तालीमी मरकज की सेवाएं 60 वर्ष की आयु तक की गई हैं;

(ग) क्या यह सही है कि 10-12 वर्षों तक सेवाएं देने के बावजूद आजतक ग्रेड पे का लाभ कार्यपालक सहायकों को नहीं मिल सका है, जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

बहुत दयनीय हो गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कार्यपालक सहायकों को ग्रेड पे का लाभ

देने तथा 60 वर्ष तक सेवा अवधि निर्धारित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो तबतक, नहीं तो क्यों ?

सिन्दुरिया बनिया जाति

*50 **श्री ललन कुमार सर्राफ (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **सामान्य प्रशासन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सिन्दुरिया बनिया जाति को बिहार में अति पिछड़ा का दर्जा प्राप्त है;

(ख) क्या यह सही है कि सिन्दुरिया बनिया जाति समाज का सामाजिक/आर्थिक शैक्षणिक स्तर से अनुसूचित जाति के समतुल्य है जिसे उड़ीसा सरकार ने 1952 से ही क्र0सं0 85 पर सिन्दुरिया जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया है;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिन्दुरिया बनिया जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करना

*51 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 बनने के बाद मखाना, जर्दालू आम, मगही पान, शाही लीची, सिलाव का खाजा, कतरनी एवं मार्चा चावल आदि के प्रसंस्करण इकाई खोलने के लिए बिहार सबसे पसंदीदा निवेश स्थल है.

(ख) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर में 140 एकड़ क्षेत्र में मेगा फूड पार्क , बिहटा में ई-रेडिएशन सेंटर आदि इसके उदाहरण, जो खाद्य प्रसंस्करण का हब बिहार बन सकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु निवेशकों को आकर्षित करने संबंधी प्रयास से सदन को अवगत कराना चाहती, यदि हाँ तो कब तक ?

अतिक्रमण मुक्त कबतक

*52 **श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड अंतर्गत कपिलेश्वर नाथ महादेव स्थान के मेला प्रांगण सह हाट में कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर घर बना लिया गया है;
(ख) क्या यह सही है कि अतिक्रमण करने के कारण सावन के महीने में कांवरियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;
(ग) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ मामले पर लोक शिकायत निवारण अधिकारी से भी आदेश प्राप्त है, पर अतिक्रमण को खाली नहीं करवाया गया है;
(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कब तक करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*53 **प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
(क) क्या यह सही है कि जिला पश्चिमि चम्पारण के प्रखण्ड संसाधन केन्द्र बगहा एक (01) को भूमि का अतिक्रमण कर लिया गया है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रखंड संसाधन केन्द्र बगहा (01) को भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करना चाहती हैं, यदि हां तो कब तक, नही तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*54 **श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
(क) क्या यह सही है कि ज्ञान निकेतन गर्ल्स हाईस्कूल से लेकर दीधा थाना तक स्थित लिंक रोड जो बाकीपुर-दानापुर से मिलती है, में बुडको से नाला निर्माण का कार्य कराया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर कई स्कूल, दर्जनों अपार्टमेंट्स और रेलवे हाल्ट का कनेक्टीविटी होने के कारण आने-जाने में लोगो को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है फिर भी अभी तक उक्त सड़क का पक्कीकरण नहीं किया गया है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बिहार राज्य में पर्यटन की व्यवस्था

*55 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं क्योंकि यहां की विरासत बहुत समृद्ध है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह, रामायण सर्किट, सीता माता की जन्म भूमि, गंगा के पवित्र तट, राजगीर की पहाड़ी विभिन्न पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार में एतिहासिक स्थलों पर आधुनिक सुविधाओं की कमी के कारण पर्यटकों के आने-जाने और रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, खासकर वैसे पर्यटकों की रहने की व्यवस्था नहीं है जो 2-4 दिनों के लिए आए , जिससे बिहार को आर्थिक बल मिल सकेगा। पर्यटन रोजगार सृजन का प्रभावी क्षेत्र है ;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य सरकार के पास बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कौन सी योजना है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

भागलपुर के दियारा क्षेत्र में बाढ़

*56 **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **आपदा प्रबंधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जिला - भागलपुर के दियारा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आने से वहां के स्थानीय लोगों को हवाई अड्डे के अंदर रहना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण अपने जान- माल के साथ हवाई अड्डे पर ही गुजर बसर करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जिला- भागलपुर के दियारा क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहती है, जिससे उन्हें इस समस्या से राहत मिल सके ,यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

एल०ई०डी० लाइटों की मरम्मती एवं रख-रखाव

*57 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि आरा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी 45 वार्डों में EESL कंपनी द्वारा एल०ई०डी० लाइटें लगाईं गयीं है;

(ख) क्या यह सही है कि इनमें से 50 प्रतिशत से भी अधिक एल०ई०डी० लाइटें मररम्मती एवं रख-रखाव के अभाव में खराब हैं;

(ग) क्या यह सही है की आरा नगर निगम द्वारा लगातार पत्राचार के बावजूद EESL कंपनी द्वारा निगम क्षेत्र में खराब एल०ई०डी० लाइटों की मरम्मती एवं रख-रखाव नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में आरा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी 45 वार्डों में EESL कंपनी द्वारा लगाई गयी एल०ई०डी० लाइटों की मरम्मती कराने का विचार रखती हैं, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्ति

*58 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर परिषद् क्षेत्र में तकिया पर से दानापुर बस स्टैंड तक की मुख्य सड़क पूर्णतः अतिक्रमित है, जिसके कारण पूरी सड़क पर जाम लगने के कारण आवागमन बाधित रहता है;

(ख) यदि उपरोक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कर आवागमन सुविधाजनक कराने के लिए आवश्यकतानुसार पुलिस की प्रतिनियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

सुरेला झील

*59 **श्री बिनोद कुमार जयसवाल (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सिवान जिला के पंचरूखी प्रखंड में अवस्थित सुरेला झील ,जो लगभग 300 एकड़ में फैला हुआ है;

(ख) क्या यह सही है की पर्यटन स्थल को सरकार विकसित करने की योजना बहुत सारे

स्थानों पर विचाराधीन है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिवान जिला के पंचरूखी प्रखंड में अवस्थित सुरेला झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हा तो कब तक, नहीं तो क्यो?

गढ़पुरा को जिला बनाने पर विचार

*60 **डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **सामान्य प्रशासन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत गढ़पुरा को जिला बनाने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा वर्षों से की जा रही है ;

(ख) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, बेगूसराय का पत्रांक-491/गो० दिनांक-24.02.2020 एवं पत्रांक-430/जि०वि०, दिनांक-12.09.2023 के आलोक में आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर ने अपने पत्रांक-06-02/2022 गो०-8192 दिनांक-14.10.2023 के द्वारा संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार से गढ़पुरा को जिला बनाने संबंधी मांग को लेकर पत्राचार किया गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री सचिव के अवर सचिव के पत्रांक-मा0/0/2023 D 2023107935 दिनांक-25.10.2023 के द्वारा आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर के पत्र के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्राचार किया गया है ;

(घ) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत गढ़पुरा जो जिला बनाने की सभी मानकों को पूर्ण करता है,;

(ड़) यछि उपर्युक्त खंडों का उतर स्वीकारात्मक है तो क्या वरकार गढ़पुरा को जिला घोषित करने हेतु कार्रवाई कबतक करना चाहती है?

झीलों, तालाबों, घाटों आदि का सौन्दर्यीकरण

*61 **श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत झीलों, तालाबों, घाटों आदि का सौन्दर्यीकरण एवं उसका जीर्णोधार करने का सरकार ने जुलाई 2024 में निर्णय लिया है और इसके लिए राशि भी उपब्ध की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि दरभंगा शहर दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय है और मिथिला

की राजधानी के रूप जानी जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि दरभंगा शहर में अनेकों तालाब, जलाशय, महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह का महल आदि पर्यटक स्थलों के रहने के बावजूद भी यह उपेक्षित है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दरभंगा शहर स्थित हराही पोखर, दिग्घी पोखर एवं गंगा सागर पोखर को मुख्यमंत्री समग्र शहरी योजना के अंतर्गत सौन्दर्यीकरण करते हुए उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सम्राट अशोक भवन का निर्माण

*62 **श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण कराने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि सम्राट अशोक भवन निर्माण हो जाने से नवादा नगर में सामुदायिक आयोजन,जन सभा,सांस्कृति कार्यक्रम हो सकता है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नवादा नगर परिषद क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कर सम्राट अशोक भवन निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?

सदस्य बनाने हेतु नियमावली में संशोधन

*63 **श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **सहकारिता** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पैक्स का सदस्य बनाने के लिए सभी अहर्ता पूरा करने के बावजूद सरकार बनाने हेतु पैक्स अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर रहना पड़ता है ;

(ख) क्या यह सही नहीं है कि पैक्स अध्यक्ष की मर्जी के खिलाफ ऑनलाइन आवेदन देने के बावजूद आम तौर पर सदस्यता नहीं मिल पाती है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पैक्स सदस्यता के लिए कोई आसान नियम बनाने पर विचार करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अधिग्रहित भूमि

*64 **श्री विजय कुमार सिंह (भागलपुर,बॉका स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत कॉवर झील योजना के लिए किसानों की निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि कॉवर झील योजना के लिए किसानों की अधिग्रहित भूमि का आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि भूमि का मुआवजा नहीं देने से किसानों की स्थिति खराब है इसलिए निबंधन करने की छूट देने के संबंध में समाहर्त्ता सह जिला निबंधक, बेगूसराय के द्वारा किसानों की स्थिति को देखते हुए पत्रांक-223 दिनांक-14-03-2023 को राजस्व विभाग से पत्राचार किया गया है ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जिला समाहर्त्ता सह जिला निबंधक, बेगूसराय के पत्रांक-223 दिनांक-14-03-2023 के अनुशंसा पर सहमति देना चाहती है यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सड़क की जमीन अतिक्रमण मुक्त कब तक

*65 **श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिले के चेहराकला प्रखंड अंतर्गत थाना नंबर 105 खाता संख्या 648 खेसरा 1551 सड़क की भूमि है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर असामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया है, जिससे आम जनमानस को रास्ते चलने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सरकारी जमीन को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराते हुए आम जनमानस के लिए रास्ता बनाना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित

*66 **श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड के लक्ष्मीपुर अरार गांव में महान साधक आलार कलाम का आश्रम अवस्थित था, जहां भगवान बुद्ध ने अठारह महीना रहकर ध्यान के सातवें स्तर की शिक्षा प्राप्त की थी एवं अभ्यास किया था ;

(ख) क्या यह सही है कि आलार कलाम की सलाह पर ही भगवान बुद्ध उच्चतर अभ्यास के लिए उद्दक रामपुत्त के पास गए और बाद में उन्हें दीक्षा मिली ;

(ग) क्या यह सही है कि लक्ष्मीपुर अरार को अबतक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया है और न ही यहां आधारभूत संरचना विकसित की गई है ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस गांव में पर्यटन की दृष्टि से आवश्यक सुविधा प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नही तो क्यों ?

पर्यटन स्थल घोषित कब तक

***67 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत जामनगर प्रखंड के गोरखपूर गांव में ऐतिहासिक एंव सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गोरखनाथ धाम मंदिर है ;

(ख) क्या यह सही है कि गोरखनाथ धाम मंदिर अति प्राचीन मंदिरों में से एक है ;

(ग) क्या यह सही है कि गोरखनाथ धाम मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा देने से सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होगा ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गोरखनाथ धाम मंदिर को पर्यटन स्थल बनाने का विचार रखती है यदि हां तो कब तक,नहीं तो क्यों ?

रोपवे लगाने का विचार

***68 श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत उमगा पहाड़ी पर उमगेश्वरी मंदिर स्थित ह ;

(ख) क्या यह सही है कि उमगेश्वरी मंदिर राज्य में एक पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है;

(ग) क्या यह सही है कि विगत 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी का उमगा प्रवास के दौरान उमगा पहाड़ स्थित मंदिरों के बारे में जानकारी ली गई तत्पश्चात उक्त पहाड़ के विकास

की घोषणा के साथ रोपवे लगवाने का भी आश्वासन दिया गया था;

(घ) क्या यह सही है कि उमगा पहाड़ पर स्थित मंदिर धरातल से 100 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है;

(ङ) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार उमगा पहाड़ पर स्थित प्राचीन कालीन मंदिरों के सौंदर्यकरण के साथ-साथ रोपवे लगाने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?

रैयतो को नुकसान से मुक्त कबतक

*69 **श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है की बेगुसराय जिले के बछवाड़ा अंचल के मौजा अकबरपुर रानी, राजस्व थाना न० 43, खाता सं० 1761, खेसरा सं० 5206, रकवा 43 'डी' के भूभाग की प्रकृति गैर मजरुआ सर्वे सड़क है ;

(ख) क्या यह सही है की उपरोक्त जमीन बेगुसराय जिले के बछवाड़ा अंचल में स्थित प्रसिद्ध झमटीया घाट तक एन० एच० 28 से पहुँच पथ के रूप में ग्रामीण एवं गंगा स्नान के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रिओं द्वारा प्राचीन काल से हीं उपयोग में लाया जाता रहा है ;

(ग) क्या यह सही है की उपरोक्त संपर्क सड़क के भूभाग को विभाग द्वारा बंदोबस्त कर दिया जाता हैं एवं इन बंदोबस्ति धारको द्वारा रैयती जमीन का अतिक्रमण कर रैयतों को नुकसान पहुँचाया जाता है ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो विभाग की ओर से रैयतों को अतिरिक्त नुकसान नहीं हो इसके लिए सरकार कौन सी कार्रवाई करना चाहती है। यदि हां तो कबतक नही तो कयों ?

सीताचरण मंदिर एंव चंपानगर मंदिर

*70 **श्री देवेश कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर में सीताचरण मंदिर, जहां माता सीता ने छठ की थी, दियारा क्षेत्र होने के कारण साल में 7 से 8 माह नदी में डूबे रहने के कारण आवागमन एवं पूजा करने में श्रद्धालुओं को काफी कठिनाईयों का सामाना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि इस ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर विको पटना के तर्ज पर रिवर व्यू बनाकर इस क्षेत्र का विकास करने की योजना बनाई गयी है ;

(ग) क्या यह सही है कि मुंगेर के चंपानगर मंदिर (जहां कर्ण ने छठ पूजा किये थें) जो एक एतिहासिक पौराणिक मंदिर है; आज यहां कुड़ा कचरा का ढेर लगा रहता है, इस एतिहासिक मंदिर को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना बनाई गई है ;

(ध) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार दोनों मंदिरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है यदि हां तो कबतक नही तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्यवाई

*71 **श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क)क्या यह सही है कि राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज के द्वार भोरे, कुचायकोट एवं बरौली प्रखंड में सडा हुआ अनाज लाभुको को उपलब्ध कराया गया है जिससे विभिन्न प्रिंट मीडिया द्वारा प्रमुखता से लगातार छापा गया है ;

(ख)क्या यह सही है कि राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज के द्वार कुचायकोट एवं बरौली प्रखंड में सडा हुआ अनाज लाभुको को उपलब्ध कराने सम्बन्धी जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर द्वारा किया गया और सड़े अनाज की पुष्टि की गई ;

(ग) क्या सही है कि सडा हुआ खाद्यान जन वितरण प्रणाली विक्रेताओ से वापस किया गया और उस सड़े खाद्यान को क्या किया गया ;

(घ)क्या यह सही है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर द्वारा सड़े अनाज की पुष्टि करने के बाद भी दोषी पदाधिकारियों पर ना तो कोई कार्यवाई किया गया गया और ना ही ख़राब अनाज की राशी वसूल कि गई ;

(ङ)यदि खंड "घ" स्वीकारात्मक है तो सरकार ऐसे दोषी पदाधिकारियों पर कार्यवाई करने और ख़राब अनाज की राशी वसूल करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक ,नहीं तो क्यों ?

विभागीय जाँच हेतु

*72 **श्री सैयद फैसल अली (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया विधानसभा अन्तर्गत प्रखण्ड चिरैया एवं पताही में अंचलाधिकारी द्वारा एक दाखिल खारिज, परिमार्जन तथा नकल इत्यादि कार्यों पर तीन से पाँच हजार रूपये का उगाही किया जाता है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त धनराशि नहीं देने पर कोई न कोई क्लेम लगाकर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है

(ग़) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार विभागीय जाँच का विचार रखती है यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पदाधिकारियो को अधिकार

*73 **श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या मंत्री, **सामान्य प्रशासन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
(क) क्या यह सही है कि विधि व्यवस्था के संधारण और साम्प्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी की प्रखंड स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाते हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि विधि व्यवस्था संधारण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 4633 दिनांक 04.04.2014 के द्वारा बिहार सरकार के सभी ज़िलों में बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापित पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की धारा 20 के अंतर्गत संबंधित ज़िला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं ;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उतर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की धारा 21 के अंतर्गत संबंधित प्रखंड क्षेत्र के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को भी विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यो ?

दोषी पदाधिकारी पर कारवाई

*74 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
(क) क्या यह सही है कि न्यायालय अपर समाहर्त्ता अररिया नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं०-204/2022-23 विगत्त दो वर्षो से विभागीय शिथिलता के अवरूध में कार्य का निष्पादन लंबित है जो नियत संगत नहीं है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मामले का निष्पादन ससमय ना होना अपर समाहर्त्ता के साथ-साथ विभागीय पदाधिकारीयों कि मिली भगत से प्रेरित प्रतीत होता है ;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त आशय के आलोक में अनेको बार पत्राचार भी किया जा

चुका है लेकिन फलाफल शुन्य है ;

(घ) क्या यह सही है कि वाद सं०- 204/2022-23 में दिनांक 09.12.2022 को मसो० गुलेशा खातुन के द्वारा साक्ष्य प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया, जबकि जान बुझकर अपर समाहर्त्ता द्वारा इसका निष्पादन में भांति भांति के अवरोध पैदा की जा रही है ;

(ङ) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त मामले की जांच मुख्यालय पटना से कराते हुए दोषी पदाधिकारी पर कारवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

देशी एवं विदेशी पर्यटकों की अद्यतन जानकारी

*75 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या यह सही है कि राज्य में पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए 'बिहार पर्यटन' बिहार सरकार की पहल है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य को यात्रा और पर्यटन के लिए सुगम और अनुकूल बनाने के बुनियादी ढ़ांचे का विकास करना विभाग की मौलिक गतिविधियों में शामिल है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में 'बिहार पर्यटन' के कारण देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विगत पाँच वर्षों में बिहार में आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों की अद्यतन जानकारी से सदन को अवगत कराना चाहती है यदि हां तो क्या?

मुहल्ले में ड्रेनेज सिस्टम

*76 **श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जिले के रक्सौल शहर के वार्ड नं.- 2 स्थित तुमडि़या टोला, नई बस्ती मुहल्ले में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह विफल है और सड़क पर नाले का पानी बहता रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, रक्सौल द्वारा नाले की उड़ाही एवं सफाई नहीं किए जाने के कारण, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे जनमानस को काफी दिक्कत होती है जबकि राशि की निकासी कर ली जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि इस मुहल्ले में कई नाले हैं,जिनकी उड़ाही एवं सफाई के बिना जाम पड़े हैं, कहीं नाला ही नहीं है और अगर कहीं है भी, तो जीर्णोद्धार के अभाव में ध्वस्त पड़ा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त इलाके में जल की निकासी स्थाई व्यवस्था कराने तथा नगर परिषद्, रक्सौल पर इस कुव्यवस्था के लिए कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

खेल मैदान अतिक्रमण मुक्त

*77 **प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या गोपालगंज जिला के भोरे प्रखंड में स्थित गाँधी स्मारक उच्च विद्यालय, भोरे के खेल मैदान का अतिक्रमण किया जा रहा है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर सकारात्मक है तो सरकार कबतक गाँधी स्मारक उच्च विद्यालय, भोरे के खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, यदि हॉ तो कबतक, नही तो क्यो ?

संवेदक का पूर्ण भुगतान कब तक

*78 **श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **आपदा प्रबंधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में 2020 में बाढ़ आई थी ;

(ख) क्या यह सही है कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामूहिक किचन का व्यवस्था कराया गया था जिसको संचालित करने के लिए तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा श्री अभय कुमार को संवेदक बनाया गया था ;

(ग) क्या यह सही है कि 2020 के बाढ़ के दौरान सामूहिक किचन संचालित करने वाले संवेदक श्री अभय कुमार का पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है, जबकि 2021 में सामूहिक किचन संचालित करने वाले संवेदको का भुगतान हो चुका है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार द्वारा सामूहिक किचन संचालित करने वाले संवेदक श्री अभय कुमार का पूर्ण भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई का विचार

*79 **श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क)क्या यह सही है कि राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज के कोइनी TPDS गोदाम पर चल रहे घटतौली और कालाबाजारी संबंधी शिकायत श्री रामप्रवेश राय, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, बरौली के द्वारा जिलाधिकारी, गोपालगंज को किया गया है ;

(ख)क्या यह सही है कि श्री रामप्रवेश राय, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, बरौली के परिवाद पत्र की जाँच प्रतिवेदन में अपर समाहर्ता, आपदा, गोपालगंज द्वारा कोइनी TPDS गोदाम के सहायक प्रबंधक और बरौली प्रखंड के परिवहन अभिकर्ता(DSD) द्वारा घटतौली और कालाबाजारी करने की पुष्टि की गई है ;

(ग)क्या यह सही है कि जाँच पदाधिकारी द्वारा घटतौली और कालाबाजारी की पुष्टि करने के बाद भी दोषी पदाधिकारियों और परिवहन अभिकर्ता (DSD) पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया ;

(घ)यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे दोषी पदाधिकारियों और परिवहन अभिकर्ताओ पर कार्रवाई करने का विचार रखती है ,यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पर्यटन के रूप मे विकसीत कब तक

*80 **श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के रजौली प्रखंड अंतर्गत दो पहाड़ों के बीच फुलवरिया डैम स्थित है ;

(ख) क्या यह सही है कि पर्यटक लोग फुलवरिया डैम घुमने के लिए आया करते है, डैम के पास समुचित विकास नही होने के कारण पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पर्यटकों के सुविधा के लिए फुलवरिया डैम का पर्यटन के रूप में समुचित विकास कराना चाहती है यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*81 **श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला अन्तर्गत गया प्रखंड के चाकन स्टेशन से मदन बिगहा जाने वाली सड़क बिल्कुल जर्जर है ;

(ख) क्या यह सही है कि चाकन स्टेशन जाने का यही एक मुख्य पथ है ;

(ग) क्या यह सही है कि सड़क जर्जर होने के कारण वर्षा के दिनों में छोटी वाहनों का चलना बहुत ही मुशिकल हो जाता है ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क को इसी वित्तीय वर्ष में बनाने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

दाखिल ख़ारिज कबतक

*82 **श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत पिता के जमीन पर पुत्री का भी समान अधिकार है;

(ख) क्या यह सही है कि दाखिल खारिज हेतु संबंधित भूमि विक्रेता के नाम से हो अथवा जमाबंदीदार के हिस्सेदारों का सहमती प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ग) क्या यह सही है कि दाखिल खारिज नियमावली को अनदेखा करते हुए मुजफ्फरपुर जिला के सकरा अंचल में कर्मचारी द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या-2068 (2024-2025) में गलत रिपोर्ट अर्थात पराप्रपौत्र के जगह पौत्र कर स्वीकृती दी गई है;

(घ) क्या यह सही है कि दूसरे पक्षों के द्वारा उक्त दाखिल ख़ारिज पर वंशावली लगाकर आपत्ति करने के बाद भी अंचलाधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया गया है;

(ड) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अंचल के दोषी कर्मचारी पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का एवं उक्त अंचलाधिकरी को नियामानुकुल कार्य करने हेतु निर्देष देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आधार कार्ड पंजीकरण में पंचायत अनुपलब्ध

***83 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या मंत्री, **सूचना प्रावैधिकी** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि आधार कार्ड के पंजीकरण सॉफ्टवेयर में सारण जिले के एकमा प्रखण्ड का परसा उत्तरी पंचायत उपलब्ध ही नहीं है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत नहीं होने के कारण पंचायत के लोगों को अपने आधार कार्ड में सही पंचायत अंकित न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विषय को कई बार सरकार के समक्ष लाने के बाबजूद भी वर्षों से ठीक नहीं किया गया है ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उतर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पंचायत का नाम आधार पंजीकरण में जुडवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

भूमि की रिकार्ड

***84 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सभी तरह की भूमि की रिकार्ड तैयार करने हेतु सरकार बड़े पैमान पर कार्य कर रही है और उसमें उप समाहर्त्ता भूमि सुधार को काफी अधिकार देकर दाखिल खारिज का मामला निष्पादित करने का आदेश दिया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के मुख्य समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक – 19.11.2024 को समाचार शीर्षक ''डीसीएलआर कोर्ट में लंबित पांच हजार मामलों की जांच होगी'' प्रकाशित किया गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य के लगभग सभी जिलों में डीसीएलआर कोर्ट में दाखिल खारिज का मामला वर्षों से लंबित है और नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के लगभग सभी जिलो में वर्षों से दाखिल खारिज से समबंधित मामले को निष्पादित करते हुए लम्बी अवधि से लंबित रखने वाले डीसीएलआर पर कार्रवाई करना चाहती है यदि हां तो कबतक, नही तो क्यों ?

भू सर्वेक्षण

*85 **श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूरे राज्य में जमीन का सर्वेक्षण का काम चल रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार की 90 प्रतिशत आबादी के पास अपनी पुश्तैनी जमीनों के पुख्ता सबूत और कागजात नहीं हैं और बहुत बड़ी आबादी राज्य से बाहर जाकर रोजी-रोजगार करके अपना जीवन यापन कर रही है जिन्हें अपनी जमीन के सर्वेक्षण के लिए रोजी-रोजगार छोड़कर गांव बैठना पड़ रहा है और उनका पूरा जीवन तहस-नहस हो गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि इस भू सर्वेक्षण की आड़ में अमीन, राजस्व पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट खड़ा हो गया है जिसे पैसे देने के लिए हर गांव, बस्ती, शहर में कैंप लगने से पहले घर-घर से लोग पैसा जमा कर रहे हैं;

(घ) क्या यह भी सही है कि अंचल कार्यालय से अधिकांश रैयतों के जमीन का रजिस्टर- 2 फाड़ दिये गये हैं उनके दस्तावेज बर्बाद कर दिये गये हैं;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भू सर्वेक्षण को तत्काल बंद कराने तथा राजस्व विभाग के पुराने बेहतरीन पदाधिकारियों, कर्मचारियों की टीम बनाकर सैकड़ों वर्षों से चली आ रही व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के पहले पूरी योजना बनाकर, तब इस भू सर्वेक्षण का काम कराना चाहती है, यदि हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्ति कबतक

*86 **प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सहीा है कि डी. ए .वी . कॉलेज, सीवान की भूमि पर अवैध कब्जा वर्षों से है;

(ख) क्या यह सही है कि भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कोई प्रयत्न किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डो ' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार डी. ए .वी . कॉलेज, सीवान की सम्पूर्ण जमीन का विवरण देने एवं अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है , यदि हाँ तो कबतक ?

भूमि उपलब्ध कराने का विचार

*87 **श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला अंतर्गत समय-समय पर गंडक नदी में आई भीषण बाढ़ से हुए कटाव से पीड़ित कई गरीब परिवार विस्थापित होकर सारण मुख्य नहर, सारण तटबंध सहित विभिन्न सरकारी सड़कों के किनारे झोपड़ी डालकर खानाबदोश का जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1980 से अब तक ऐसे विस्थापित परिवारों के पुनर्वास एवं आवास हेतु विशेष सर्वेक्षण नहीं कराया गया एवं ऐसे सुयोग्य श्रेणी के निराश्रित परिवारों को वास हेतु अभियान बसेरा फेज 1 एवं फेज 2 के तहत अब तक भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है ;

(ग) क्या यह सही है की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अभियान बसेरा के तहत ऐसे सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने में विलंब हो रहा है ;

(ध) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे परिवारों को विशेष रूप से अभियान चलाकर सर्वेक्षित करते हुए बसेरा हेतु भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उच्च स्तरीय जांच

*88 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के लगभग सभी जिलों में जमीन का रिकार्ड तैयार करने हेतु सरकार बड़े पैमान पर शिविर का आयोजन कार्य कराया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि नालंदा जिला के परबलपुर प्रखंड में भूमि रिकार्ड तैयार करने हेतु शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें शिविर प्रभारी के रूप में श्री शांतु कुमार (संविदा) कर्मी कार्यरत हैं ;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त शिविर प्रभारी पर कई प्रकार के गंभीर आरोप स्थानीय लोगों के द्वारा लगाये गये हैं, साथ ही प्रभारी ने अवैध तरीके से आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखा है, स्थानीय लोगों से असंसदीय भाषा का प्रयोग एवं गाली-गलौज से

बात कर शिविर से भगा दिया जाता है जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त संविदा कर्मी द्वारा अवैध तरीके से अर्जित किये गये आय से अधिक संपत्ति की जांच निगरानी से कराते हुए उनके कार्य कलापों की उच्च स्तरीय जांच कराने का विचार रखती है ?

पटना- 800015.
27 नवम्बर, 2024.

अखिलेश कुमार झा,
सचिव, बिहार विधान परिषद्